अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर 0141-2227884, ई-मेल rajpr.sep@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ 4 (227) परावि/पीसी/एसएफसी/सीएफसी/वॉल पेन्टिग/2016/362 जयपुर,दिनांक 26/9/2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त

विषय :- विभाग द्वारा विभिन्न विकास योजनाओ में उपलब्ध कराई जा रही राशि की आम जन को जानकारी हेतु वॉल पेन्टिग के संबंध में।

संदर्भ :- विभागीय सगरांख्यक पत्रांक 1368 दिनांक 1.6.16

महोदय,

पंचायतों को प्राप्त **अनुदान राशि** के उपयोग में पारदर्शिता बनाये रखने एवं जानकारी आम जनता को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा दिनांक 15.6.16 तक वॉल पेन्टिग के निर्देश दिये गये थे, परन्तु इस संबंध में 9 स्मरण पत्र जारी करने के उपरान्त भी अभी तक मात्र 2 जिलों (गंगानगर एवं झुंझुनू) में वॉल पेन्टिग का कार्य पूर्ण होने की सूचना प्राप्त हुई है।

उक्त संदर्भित पत्र में अंकित निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुये यह स्पष्ट किया जाता है कि **पंचायतों को प्राप्त अनुदान राशि के अतिरिक्त अन्य विकास योजनाओं में प्राप्त राशि एवं व्यय राशि का विवरण भी वॉल पेन्टिग से अंकित किया जावेगा।** अतः पंचायत को विभिन्न विकास योजनाओ में विभाग से प्राप्त राशि, इस राशि का व्यय विवरण एवं अन्य विभागों द्वारा व्यय की गई राशि की जानकारी निम्न प्रारूप में ग्राम पंचायत अथवा अटल सेवा केन्द्र (दोनों में से किसी एक प्रमुख परिसर) में प्रमुख स्थान पर रंग से ग्राम पंचायत द्वारा अंकित किया जावे :-

1. **प्राप्त राशि का विवरण** - 2012-13 से 2017-18 में प्राप्त राशि का विवरण -

क्र. सं.	वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	SFC मद में प्राप्त अनुदान						
2.	केन्द्रीय वित्त आयोग मद में प्राप्त अनुदान						
3.	स्वच्छ भारत मिशन						
4.	आवास योजना						
5.	विधायक कोष						
6.	सांसद कोष						
7.	गुरू गोवलकर जन भागीदारी योजना						
8.	डांग/मगरा/मेवात योजना						
9.	बीएडीपी						

P.T.O.

10.	अन्य योजना (बिन्दू संख्या 5 देखे)							

2. **व्यय राशि** – उक्त राशि से सम्पादित कार्य एवं अन्य मदो पर व्यय का विवरण –

क0सं0	कार्य का नाम	स्वीकृति दिनांक	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि

3. आज दिनांक तक प्राप्त/व्यय राशि का विवरण दिनांक 10.10.2016 तक अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जावे एवं भविष्य में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 1 माह में उक्त विवरण अंकित करना सुनिश्चित किया जावे

4. वाल पेन्टिग पर होने वाला व्यय राज्य वित्त आयोग मद में प्राप्त होने वाली राशि से किया जा सकता है।

5. अन्य विभागों यथा पीडब्ल्यूडी (गौरव पथ, अन्य भवन, सडक आदि), कृषि (किसान सेवा केन्द्र), महिला बाल विकास (आंगनबाडी), चिकित्सा, शिक्षा विभाग पीएचईडी आदि के द्वारा पंचायत में विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण संबंधित विभाग से लेकर अंकित किया जावे।

6. जिन पंचायतों में उपरोक्त संदर्भित पत्र दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुदान राशि की प्राप्ति एवं व्यय बाबत वॉल पेन्टिग का कार्य हो चुका है, में अन्य योजनाओं में प्राप्त एवं व्यय राशि का विवरण अतिरिक्त अंकित करा दिया जावे।

7. इन निर्देशों की निर्धारित अवधी में कियान्विती सुनिश्चित करने के लिए किसी एक प्रसार अधिकारी को उत्तरदायित्व दिया जावे।

8. **प्रत्येक ग्राम पंचायत में दीवार लेखन कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र आप द्वारा दिनांक 16.10.2016 तक पंचायती राज को प्रेषित किया जाये।**

शुभेच्छु,

22.9.2016

(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास
5. राज्य स्तरीय जिला प्रभारी अधिकारी, समस्त **को प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों की कियान्विती बाबत समीक्षा करते हुये निरीक्षण प्रतिवेदन में आपकी टिप्पणी अनिवार्य रूप से देने का श्रम करावे।**
6. ए.सी.पी., पंचायती राज को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता